न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /02/2020

1–निहाल सिहं । पुत्रगण घनश्याम सिंह
2–हुकमसिंह ।
3–सुधा पत्नी स्व0 प्रेमसिंह
4–सतीशसिंह । पुत्रान प्रेमसिंह
5–जितेन्द्र कुमार।
6–टोडर सिंह । पुत्रान घनश्याम सिंह
7–राजवीर सिंह **(मृतक)**
7/1– शुभादेवी पत्नी स्व0 राजवीर सिंह
7/2– मैनिका ।
7/3– अनुपम । पुत्रीयान स्व0 राजवीरसिंह
7/4– शिवानी ।
7/5– सविता ।
7/6– तेजवीर सिंह पुत्र स्व0 राजवीरसिंह

जाति जाट निवासी त्योंगा तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1–अजीत सिंह **(मृतक)**
1/1– अशोक । पुत्रगण अजीतसिंह
1/2– सुभाष ।
1/3– सुषमा पुत्री अजीतसिंह
1/4– प्रद्युम्न पुत्र अजीत सिंह
2– दिलीप सिंह पुत्र स्व0 भगवानसिंह
3– सत्यदेव पुत्र प्रतापसिंह
4– सत्यपाल पुत्र प्रतापसिंह **(मृतक)**

जाति जाट निवासी अजान हाल निवासी गहनौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर

4/1–निर्मला पत्नी स्व0 सत्यपाल
4/2–नेहा पुत्री स्व0 सत्यपाल जाति जाट निवासी अजान हाल गहनौली तहसील रुपवास
4/3– निधि उम्र 16 साल
4/4– गौरी उम्र 15 साल
4/5– सुमन उम्र 14 साल
4/6– काजल उम्र 13 साल
4/7– शिवा उम्र 10 साल
4/8– सचिन उम्र 8 साल

पुत्रीयान/पुत्रान सत्यपाल नावालिग वली सरपरस्त माता खुद निर्मला पत्नी सत्यपाल जाति जाट हाल निवासी गहनौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर

5–एच.डी.एफ.सी बंक लि0 शाखा भरतपुर द्वारा प्रबन्ध
6–स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कन्जौली लाईन भरतपुर प्रबन्घक

.........रेस्पो0

............2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /02/2020
निहालसिंह वगै0 अजीत सिंह वगै0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध खसरा परिशोधन संख्या निल ग्रांम अजान तहसील भरतपुर दिनांक 05.11.1982 सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर

उपस्थितः–
1–श्री महाराज सिंह डांगुर ,अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांक 15.05.2026**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 5.11.1981 बाबत खसरा परिशोधन संख्या निल ग्रांम अजान तहसील भरतपुर के इस न्यायालय में दिनांक 10.02.20 को पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पो0 या उनके अभिभाषक बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। इसलिए बहस एकतरफा में योग्य अभिभाषक अपीलान्ट सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने आराजी खसरा नम्बर 44/3.10 बाके ग्राम अजान तहसील भरतपुर के 2.08 है0 क्षेत्रफल 1/2 हिस्सा पर अपीलार्थीयान का नाम निरस्त कर उत्तरवादी के नाम अंकित करने का आदेश दिया है जो नियमों के खिलाफ है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नया नम्बर 44/3–10 पुराने खसरा नम्बरान 28/17–12, 19/1–03, 33/2–03 से मिलकर बनाया है तथा हाल समस्त रकवे पर गत के विपरीत खण्डाधीश आदेश से स्व0 भगवानसिंह के नाम खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया है यानी अपीलार्थी के गत खसरा नम्बर 28/12–17 के 1/2 हिस्सा (नये रकवा 208 ऐयर 1/2 भाग) पर भी अपीलार्थी के स्थान पर रेस्पो. के नाम खातेदारी इन्द्राज कर दिये हैं जो कतई गलत हैं व नियमों के खिलाफ है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि भूप्रबन्ध विभाग को गत जमाबन्दी की खातेदारी एवं अन्य किसी आराजी की किसी भी प्रतिष्ठियों को बदलने का अधिकार नहीं है न उन्हें किसी व्यक्ति को खातेदारी देने अधिकार का अधिकार है। तथाकथित खसरा परिशोधन पर तहत न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की सहमति दिया जाना अंकित किया है तथा उनके कूटरचित हस्ताक्षर करवाये हैं जबकि अपीलार्थी स्वयं प्रेमसिंह वगै0 कभी भी तहत न्यायालय में विवादित आराजी के सम्बन्ध रजामन्दी देने नहीं गये हैं। गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर उपजिला कलक्टर भरतपुर में धारा 88–89 व 53 आर0 टी0 एक्ट के तहत दावा

...........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रस्तुत किया जो दिनांक 8.4.2004 को अपीलाथी के हक में डिक्री हुआ और अपीलार्थी को खसरा नम्बर 44/3–10 के 2.08 है0 भू भाग के 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। न्यायालय एस.डी.ओ. के आदेश दिनांक 8.4.2004 के खिलाफ रेस्पो. द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ अपील की गई जो दिनांक 17.10.2007 को राजस्व अपील प्रधिकारी ने स्वीकार करली। जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जो दिनांक 26.11.2019 को खारिज कर दी गई। योग्य अभिभाषक अपीलार्थी का कहना है कि वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। तहत न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की सलाह पर यह अपील पेश की गई है शून्य आदेश चुनौती देने की कोई समय अवधि निश्चित नहीं होती है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक के कथनों पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। अपीलाधीन आदेश का अध्ययन किया गया। न्यायालय एस.डी.ओ. के आदेश दिनांक 8.4.2004 के खिलाफ रेस्पो.द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ अपील की गई जो दिनांक 17.10.2007 को राजस्व अपील प्रधिकारी ने स्वीकार करली। जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जो दिनांक 26.11.2019 को खारिज कर दी गई। योग्य अभिभाषक अपीलार्थी का कहना है कि वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। यह निर्विवाद है कि पक्षकारान में विवादित आराजी पर हक हकूक तय कराने का विवाद अभी विचाराधीन है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं उसके अधीन बनाऐ गये नियमों के अनुसार नामान्तकरण कार्यवाही एक सार–संक्षिप्त (Summary) प्रक्रिया है। जिसमें स्वामित्व का अंतिम निर्धारण नहीं किया जाता, अपितु उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रथम दृष्टया अधिकार के आधार पर प्रविष्टि की जाती है। पक्षकारान विवादित आराजी में अपने हक हकूक दावा में तय करावें। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पक्षकारान विवादित आराजी में अपने हक हकूक दावा में तय करावें

निर्णय आज दिनाक 15.05.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर